	Publication: Deshbandhu
	Edition: New Delhi
	Date: 27th July 2014
	Page: 05

'हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बच्चे का इलाज नहीं कर रहा एम्स'

नई दिल्ली, 26 जुलाई (देशबन्धु)। जनता को संवेदनशील बनाने और सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के लिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गोशे दिवस के मौके .र गोशे रोगियों की एक मौन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन लायसोसोमल स्टोरेज डिस्ऑर्डर सपोर्ट सोसाइटी (रैक्वै) द्वारा किया गया। रैली में मरीजों व उनके माता-पिता ने तख्तियां व बैनर ले कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निवास पर मरीजों को आजीवन उपचार हेतु आर्थिक मदद की मांग संबंधी याचिका सौंपी।

इस मौके पर सात वर्षीय मोहम्मद अहमद व उसके माता-पिता सिराजुद्दीन व अनवरी बेगम भी मौजूद रहे। अहमद ऐसा पहला मरीज है जिसे इस साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद एम्स में निशुल्क इलाज की सुविधा

प्राप्त हुई थी। अपने फूले पेट, सूजे लिम्फ नोड्स, पतले अंगों व काली-भूरी त्वचा के साथ खड़ा अहमद अपने माता-पिता की जीवित बची अंतिम औलाद है। उसके तीन भाई और एक बहन पहले ही इस दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी से जीवन की लड़ाई हार चुके हैं। शुरुआत में अहमद को एक महीना इलाज मिला किंतु जब परिवार इलाज के अगले दौर के लिए 8 व 22 जुलाई 2014 को अस्पताल पहुंचा तो उसे इलाज देने से मना कर दिया गया। कारण बताया गया कि अस्पताल को राज्य सरकार से उपचार हेतु फंड प्राप्त नहीं हुआ है।